

बिहार सरकार  
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01 / बजट-यो०-701 / 2026-13-बजट / पटना, दिनांक- 29 मई, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,  
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

सहायक निदेशक, ईख विकास,  
बगहा, सीवान एवं समस्तीपुर।

विषय : राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत "गन्ना यंत्रिकरण योजना" के अधीन लाभुकों को भुगतान हेतु वचनबद्ध राशि कुल 40,29,000.00 (चालीस लाख उनतीस हजार) रुपये मात्र की वित्तीय वर्ष 2026-2027 में निकासी का आवंटन।

आदेश : स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-127 स्वी०/सी.सी. दिनांक-25.05.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना अंतर्गत "गन्ना यंत्रिकरण योजना" के तहत लाभुकों को भुगतान हेतु राशि कुल 10,00,00,000.00 (दस करोड़) रुपये मात्र की योजनाओं का कार्यान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-314/वि० दिनांक-01.04.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में कुल 40,29,000.00 (चालीस लाख उनतीस हजार) रुपये का आवंटन किया जा रहा है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-177 स्वी०/सी०सी० दिनांक-25.06.2025 के द्वारा कुल 10,00,00,000.00 (दस करोड़) रुपये की लागत पर "गन्ना यंत्रिकरण योजना" के तहत लाभुकों को भुगतान हेतु स्वीकृति दी गई थी, के आलोक में इस योजनांतर्गत तकनीकी कारणों से कोषागार से देय राशि की निकासी नहीं होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु वचनबद्ध राशि के रूप में मो० 40,29,000.00 (चालीस लाख उनतीस हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति दी गयी है।

3 इस योजनांतर्गत अवशेष राशि की निकासी से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (संलग्न सूची परिशिष्ट-I) के अनुसार आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से कर सकेंगे तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (रुपये में)	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (रुपये में)
1.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या-45 उप शीर्ष-0120 गन्ना यंत्रिकरण, विपत्र कोड- 45-2401001080120	33 01 सब्सिडी	78,00,00,000.00	40,29,000.00
		20 02 कॉन्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	2,00,00,000.00	0.00
	योग-		80,00,00,000.00	40,29,000.00

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-314/वि० दिनांक-01.04.2026 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

5. स्वीकृतादेश संख्या-177 स्वी./सी.सी. दिनांक-27.06.2025 एवं 127 स्वी./सी.सी. दिनांक-25.05.2026 में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। ईखायुक्त, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. उक्त योजना अन्तर्गत व्यय की गयी राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-701/2026-03-बजट /पटना, दिनांक- 29 मई, 2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/सीवान/समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-701/2026-03-बजट /पटना, दिनांक- 29 मई, 2026

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के.भी.के./राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-701/2026-03-बजट /पटना, दिनांक- 29 मई, 2026

प्रतिलिपि-संबंधित जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ-क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-701/2026-03-बजट /पटना, दिनांक- 29 मई, 2026

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।